उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय–लखनऊ।

परिपत्र सं0 सी–57 /वसूली/जीप किराया/2020–21 दिनांक– 18-03-2021

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक,
उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–शाखाओं पर वसूली हेतु किराये पर प्रयोग की जाने वाली जीप के सम्बन्ध में।

विगत दिवसों में आहुत विभिन्न मण्डलीय समीक्षा बैठकों में कतिपय शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धकों द्वारा मंहगाई के दृष्टिगत जीप किराये में वृद्धि के सम्बन्ध में किये गये अनुरोध के क्रम में प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–47/वसूली/जीप किराया/14–15 दिनांक–11.09.2014 एवं पूर्व में निर्गत समस्त परिपत्रों को अवक्रमित करते हुए संशोधित परिपत्र निम्नवत् निर्गत किया जाता हैः–

1. शाखा स्तर पर वसूली एवं अन्य क्रिया–कलापों हेतु डीजल जीप का किराया **अधिकतम मु0 700.00 (सात सौ) रू0 प्रतिदिन** की दर से भुगतान करने हेतु शाखा प्रबन्धक को अधिकृत किया जाता है। प्रतिदिन अलग से मोबिल आयल हेतु कोई भुगतान अनुमन्य नहीं होगा।
2. डीजल जीप का **औसत माइलेज 10 कि0मी0 प्रति लीटर** से कम नहीं होना चाहिए। किराये पर वही जीप ली जाये जिसमें मीटर लगा हो। मीटर रीडिंग के अनुसार लागबुक प्रतिदिन अवश्य भरी जाय।
3. वसूली व्यय की अधिकतम सीमा **नगद वसूली धनराशि का रू0 0.70 (सत्तर पैसा) प्रति सैकड़ा** से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगा। अधिक व्यय के लिए सम्बन्धित वरिष्ठ/शाखा/प्रभारी प्रबन्धक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। (वसूली व्यय का तात्पर्य सभी प्रकार के वसूली सम्बन्धी व्यय यथा–जीप का किराया, डीजल, डाक एवं नोटिस व्यय, पी. आर.डी./होमगार्ड/ आर्म्स गार्ड्स, नीलामी के निमित्त डुग्गी, लाउडस्पीकर, प्रकाशन आदि जैसे व्ययों से है।)
4. जीप का प्रयोग जब भी किया जाय उस पर वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक/फील्ड आफिसर में से किसी एक का होना आवश्यक है, जहॉ पर फील्ड आफिसर न हों वहां वरिष्ठ सहायक फील्ड आफिसर यह कार्य करेंगे।
5. किराये पर वही जीप ली जाय जो अच्छी हालत में हो। किसी भी दशा में किसी बैंक कर्मचारी अथवा शाखा प्रतिनिधि एवं उनके निकट सम्बन्धी की जीप बैंक में किराये पर न ली जाय/न ही कार्य क्षेत्र से बाहर ले जायी जाय। यदि ऐसा आवश्यक हो तो मण्डल के क्षेत्रीय प्रबन्धक की अनुमति ली जाये।

6. सामान्य स्थितियों में **प्रतिदिन 12 लीटर तक डीजल व्यय** किया जा सकता है जिन शाखाओं का कार्य क्षेत्र विस्तृत है उन शाखाओं पर अधिकतम 15 लीटर डीजल प्रतिदिन प्रयोग किया जा सकता है।
7. क्षेत्रीय प्रबन्धक प्रत्येक माह अपने मण्डल की वसूली समीक्षा करेंगे, यदि शाखा द्वारा जीप के प्रयोग के पश्चात वसूली में वांछित प्रगति नहीं होती है तो जीप चलाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाये जिससे कि जीप का दुरूपयोग न हो सके।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए व्यय पर नियंत्रण रखें, साथ ही जीप के प्रयोग के फलस्वरूप वसूली में वांछित प्रगति भी लाना सुनिश्चित करें।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—
1. प्रबन्धक(आई0टी0सेल), प्रधान कार्यालय लखनऊ को सम्बन्धित को ई—मेल करने एवं बैंक की वेबसाइट पर अप—लोड करने हेतु।
2. समस्त अधिकारीगण, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय—लखनऊ।
3. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, (मा0 सभापति जी), उ0प्र0सह0ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय—लखनऊ, को मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक